प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 27.03.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

बरसों पुराने विवाद का जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय, खीरी के हस्तक्षेप के बाद निस्तारण

जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त जनसुनवाई की जा रही थी जनसुनवाई के दौरान ग्राम मरखापुर के सुनील इतवारी सुशील राजेंद्र आदि 50 लोग जिसमें बच्चे महिलाएं भी शामिल थी उन्होंने शिकायत किया कि उनका रास्ता और अवरुद्ध कर दिया गया है जिला अधिकारी महोदय द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओमितौली के नेतृत्व में तहसीलदार सदर एवं थाना अध्यक्ष खीरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया मौके पर टीम द्वारा जाकर जांच की गई तो जांच से मामला सही पाया गया तत्काल अवरोध किए गए रास्ते को खुलवाया गया और मौके पर रास्ते का चिन्ह्यांकन किया गया बरसों पुराने विवाद के निस्तारण होने पर गांव वालों द्वारा प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 0245/2024 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित हत्या जैसे जन्घय अपराध के नामजद व वाछित अभियुक्त को आलाकत्ल एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनाँक 27.03.2024 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 0245/2024 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित हत्या जैसे जन्घय अपराध के नामजद व वाछित अभियुक्त अभिषेक शुक्ला पुत्र हरिओम शुक्ला निवासी मो0 रामनगर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी को बेहजम रोड छाऊछ चौराहे से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त को मा0 न्यायाा0 भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण .... दिनाँक 25.03.2024 समय 18.30 बजे उज्जवल बाजपेई उम्र करीब 30 वर्ष नि0 मो0 रामनगर की हत्या विपक्षी अभिषेक शुक्ला पुत्र हरिओम शुक्ला निवासी मो0 रामनगर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी द्वारा गोली मारकर कर दी गयी जिसके सम्बन्ध में वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रज्जनलाल बाजपेई निवासी मो0रामनगर थाना कोतवाली सदर खीरी की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 244/2024 धारा 302 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अभिषेक शुक्ला पुत्र हरिओम शुक्ला निवासी मो0 रामनगर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त के पास से आलाकत्ल एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद होना।

गिरफ्तारकर्ता टीम का विवरण –

1.प्र0नि0 श्री अम्बर सिंह कोतवाली सदर खीरी

2.व0उ0नि0 दयाशंकर द्विवेदी कोतवाली सदर खीरी

3.हे0का0 विजय शर्मा कोतवाली सदर खीरी

4.का0 विकास चौहान कोतवाली सदर खीरी

5.का0 हेमेन्द्र सिंह कोतवाली सदर खीरी

6.का0 विकास यादव कोतवाली सदर खीरी

7.का0 अमरजीत कोतवाली सदर खीरी

8.का0सतेन्द्र कुमार कोतवाली सदर खीरी

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त सहवाज कुरैसी पुत्र रशीद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त सहवाज कुरैसी पुत्र रशीद नि0 हाथीपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंद में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 246/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना तिकुनियाँ पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त मेराज पुत्र जमाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तिकुनियाँ पुलिस द्वारा अभियुक्त मेराज पुत्र जमाल अहमद नि0 मोतीपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंद में थाना तिकुनियाँ पर मु0अ0सं0 66/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1-थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 154/24 धारा 323/504/506/307 भादवि में वांछित 03 नफर अभियुक्तों रामखेलावन पुत्र हरद्वारी, सर्वेश पुत्र रामलखन व अनिल पुत्र हरद्वारी नि0गण सिसैया थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, 35 लीटर अवैध शराब बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली सदर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए **35 लीटर अवैध शराब** बरामद कर **02 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **02 अभियोग** पंजीकृत किए गए।